न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— नरेन्द्र के. वर्मा (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील नम्बर :— 03/2019

आरसीएमएस नम्बर :— 2019/00004

उनवान प्रकरण

1—बनवारी			समस्त जातिगण त्यागी
2—रामअवतार	पुत्रगण		
3—रामनरेश	वेतालसिंह		निवासीगण ग्राम मांलौनीखुर्द
4—भीमसैन			
5—बैजनाथ	पुत्रगण		तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
6—पप्पू	बंगाली		

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 09.01.2019
मु0नं0 11/2019 सरकार बनाम बनवारी वगैरा
अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट न्यायालय
तहसीलदार सैपऊ

उपस्थिति :—

अपीलान्ट की ओर से :— श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट की ओर से :— श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 11.03.2020

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 1116 किस्म गैर मुमकिन रास्ता बॉके ग्राम मालौनीखुर्द तहसील सैपऊ अतिचारी मानते हुये विवादित आराजी से अपीलान्ट को बेदखल करने तथा लगान की 50 गुना शास्ती बसूल करने तथा अपीलान्टस की बनी पुख्ता दीवार को ध्वस्त करने के आदेश पारित दिनांक 09.01.2019

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

को किया हैं जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि अपीलाधीन आदेश तारीखी 09.01.2019 तहसीलदार सैपऊ वखिलाफ कायदे कानून व बरूयेदार निसिल के है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहत कार्यवाही के बावत अपीलान्टस को किसी प्रकार की कोई सूचना प्रदान नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस की बैक पर राजनीति से प्रेरित होकर न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तो के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि अपने आप में प्रारम्भ से ही शून्य है। अपीलान्टस द्वारा मालौनीखुर्द से विधिवत भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर मंजूरी शुदा पर आवादी की भूमि पर नियमानुसार निर्माण कार्य किया है जिसे तहसीलदार सैपऊ द्वारा नजर अंदाज कर तहत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपने आप में प्रारम्भ से ही शून्य है तथा काबिल निरस्ती के है। आवादी भूमि के बावत कार्यवाही के लिये ग्राम पंचायत अधिकृत है जबकि तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से वाहर जाकर ग्राम आवादी की भूमि पर निर्मित दीवार को ध्वस्त किये जाने बावत तहत आदेश पारित कर बहुत बडी कानूनी भूल की है इसी बिनाय पर अपीलाधीन आदेश काबिल खारीजी के है। अपील अंदर अवधि पेश है। अपीलान्टस ने अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्टस दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्टस द्वारा ग्राम पंचायत मालौनीखुर्द से विधिवत भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर मंजूरी शुदा पर आवादी की भूमि पर नियमानुसार निर्माण कार्य किया है जिसे तहसीलदार सैपऊ द्वारा नजर अंदाज कर तहत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपने आप में प्रारम्भ से ही शून्य है तथा काबिल निरस्ती के है। आवादी भूमि के बावत कार्यवाही के लिये ग्राम पंचायत अधिकृत है जबकि तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से वाहर जाकर ग्राम आवादी की भूमि पर निर्मित दीवार को ध्वस्त किये जाने बावत आदेश पारित कर बहुत बडी कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषक राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1116 की किस्म राजास्व रिकार्ड में रास्ता की भूमि के रूप में दर्ज है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। अपीलान्टस/अतिकमियों ने विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता पर रेत ईट डालकर एवं पशु बांधकर अतिकमण कर रखा था जिस पर कब्जे की नीयत से अतिकमियों द्वारा रातों रात एक दीवार खडी कर दी गई जिससे पडौसी खातेदार व अन्य व्यक्तियों का आवागमन बाधित हुआ। अतिकमियों का अतिकमण सिद्व होता है। अपीलान्टस उक्त विवादित आराजी पर किसी भी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

अपीलान्ट की विवादित भूमि पर एक अतिक्रमी की हैसियत है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से यह जाहिर होता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1116 की किस्म राजास्व रिकार्ड में रास्ता की भूमि के रूप में दर्ज है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। अपीलान्टस/अतिक्रमियों ने विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता पर रेत ईट डालकर एवं पशु बांधकर अतिक्रमण कर रखा था जिस पर कब्जे की नीयत से अतिक्रमियों द्वारा रातों रात एक दीवार खडी कर दी गई जिससे पडौसी खातेदार व अन्य व्यक्तियों का आवागमन बाधित हुआ। अपीलान्टस का यहॉ यह कथन है कि विवादित आराजी पर अपीलान्टस द्वारा ग्राम पंचायत मालौनीखुर्द से दिनांक 15.11.90 को विधिवत भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर मंजूरी शुदा पर आवादी की भूमि पर नियमानुसार निर्माण कार्य किया है। इस सम्बध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध ग्राम पंचायत मालौनीखुर्द का पत्र दिनांक 23.1.2019 के द्वारा तहसीलदार सैपऊ को यह अवगत कराया है कि दिनांक 15.11.1990 का गाम पंचायत में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण मकान निमार्ण मंजूरी की जॉच करना सम्भव नहीं है। ग्राम पंचायत मालौनीखुर्द ने अपने पत्र दिनांक 10.11.2018 के द्वारा खंरजा निर्माण हेतु रास्ते की भूमि खाली कराने हेतु तहसीलदार सैपऊ को लिखा है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ते की भूमि पर ग्राम पंचायत मालौनीखुर्द द्वारा निर्माण स्वीकृति जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। चूंकि उक्त विवादित आराजी रास्ता की भूमि है। अपीलान्टस उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। अतः हम आक्षेपित अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्टस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.01.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र के. वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)